

पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिये वेखिये संख्या एल०टी० 2228/91]

III (क) 1989-90 के वर्ष के लिये नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखापीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई । वेखिये संख्या एल०टी० 2227/91]

I. Report and Accounts (1989-90) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi and related Papers.

II. Notification of the Ministry of Agriculture (Dept. of Agriculture and Cooperation).

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) भी सभा पटल पर रखता हूँ:—

I. (i) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन 1989-90 के वर्ष के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन 1989-90 के वर्ष के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(iii) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(iv) ऊपर (i) और (ii) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई (i) (iv) के लिये वेखिये संख्या एल०टी० 2229/91]

II. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन प्रधिसूचना सा०का०नि० सं० 78(अ), दिनांक 30 जनवरी, 1986 से संबद्ध अनुसंधी का संशोधन करने वाली कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 113(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई वेखिये संख्या एल०टी० 2244/91]

Report of the Comptroller and Auditor General of India—Union Government—relating to National Thermal Power Corporation Ltd.

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव धाकने) : महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (1) के अधीन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1990 का संघांक 4) (वाणिज्यिक) की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखी गई । वेखिये संख्या एल०टी० 2246/91]

[श्री बाबन राव धाकने]

I. Reports and Accounts (1989-90) of the various Regional Rural Banks and related papers.

II. Notifications of the Ministry of Finance (Dept. of Revenue) under section 159 of the Customs Act, 1962 and related papers.

III. Notifications of the Ministry of Finance (Dept. of Revenue) under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944 and related papers.

IV. Notifications of the Ministry of Finance (Dept. of Revenue) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise and Salt Act, 1944 and related papers.

V. Notifications of the Ministry of Finance (Dept. of Revenue) under section 41 of the Finance Act, 1979 and related papers.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the Annual Reports and Accounts of the following Regional Rural Banks for the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts:—

(1) Ranchi Kshetriya Gramin Bank, Ranchi (Bihar).

(2) Samastipur Kshetriya Gramin Bank, Samastipur, (Bihar).

(3) Kanpur Kshetriya Gramin Bank, Kanpur (U.P.).

(4) Cachar Gramin Bank, Silchar (Assam).

(5) Magadh Gramin Bank, Gaya, Bihar. [Placed in Library.

(6) Prathma Bank, Moradabad (U.P.).

(7) Gaur Gramin Bank, Malda (W.B.).

(8) Rayalseema Grameena Bank, Cuddapah (A.P.).

(9) Shivpuri Guna Kshetriya Gramin Bank, Shivpuri (M.P.).

(10) Bolangir Anchalik Gramya Bank, Bolangir (Orissa).

(11) Balasore Gramya bank, Balasore (Orissa).

(12) Etawah Kshetriya Gramin Bank, Etawah (U.P.).

(13) Lakhimi Gaonlia Bank, Golaghat (Assam).

(14) Monghyr Kshetriya Gramin Bank, Monghyr (Bihar).

(15) Pandyan Grama Bank, Sattur (T. N.).

(16) Singhbhum Kshetriya Gramin Bank, Chaibasa (Bihar).

(17) Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur (M.P.).

[Placed in Library. See No. 2257/91 to 2272 A/91 for (1) to (17)]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under section 159 of the Customs Act, 1962, together with explanatory memoranda on the Notifications:—

(1) G.S.R. No. 686(E) dated the 1st August, 1990, amending Notification No. 86/90-Customs dated the 20th March, 1990, so as to substitute the word 'firm' by the word 'unit'.

(2) G.S.R. No. 843(E) dated the 16th October, 1990 partially exemption specified furskins of white artic fox, Persian lamb and Rabbits (black and white) from basic customs duty so as to levy 20 per cent basic customs duty.

(3) G.S.R. No. 844(E) dated the 16th October, 1990, amending Notification No. 182/90-Customs dated the 31st May, 1990, as as to pres-